न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 43 / 2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 दिलीपसिंह थानाराम जाति गुजर 2 चंद्रसिंह पुत्र मदनसिंह रावणा राजपूत 3 मनरूपराम पुत्र रावतराम जाट 4 हेमेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासीगण हरसोलाव तहसील मेडता		1 मुकेश पुत्र कन्हैयालाल जाति गुजर निवासी हरसोलाव तहसील मेडता। 2 ग्राम पंचायत हरसोलाव जरिये सचिव ग्राम पंचायत हरसोलाव तहसील मेडता जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से

2 श्री विक्रम जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 29.07.2024

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरसोलाव द्वारा संकल्प संख्या 2 / 20.11.2019, पत्रावली संख्या 17 / 2019–20, पट्टा संख्या 37 बुक संख्या 23 निर्णय दिनांक 12.12.2019 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.11.2021 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 03.11.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, अप्रार्थी संख्या 02 दिनांक 15.12.2021 को न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन पट्टा संख्या 37 की फोटोप्रति, नक्शा मौजा हरसोलाव के खसरा नम्बर 1707 व 1708 की फोटोप्रति, मौजा हरसोलाव के खसरा नम्बर 1707 व 1708 के खतौनी की फोटोप्रति, मौजा हरसोलाव के खसरा नम्बर 1707 व 1708 के खतौनी की कम्प्यूटर फोटोप्रति, मौजा हरसोलाव के खसरा नम्बर 1707 व 1708 की फोटोप्रति, जिला आयुर्वेद अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 06.07.1977 की फोटोप्रति, जिला आयुर्वेद अधिकारी के निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 10.02.1978 की फोटोप्रति, जिला आयुर्वेद अधिकारी के निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19.04.1973 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत हरसोलाव का पट्टे बाबत जवाब दिनांक 03.05.1995 की फोटोप्रति, पट्टा बनाने हेतु आवेदन दिनांक 10.12.1996 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत को प्लॉट आवंटन व रजिस्ट्री बाबत् आवेदन दिनांक 01.05.1995 की फोटोप्रति, जिला आयुर्वेद अधिकारी के पत्र दिनांक 30.03.1998 की फोटोप्रति, जिला आयुर्वेद अधिकारी को लिखे पत्र दिनांक 15.05.1985 की फोटोप्रति, जिला आयुर्वेद अधिकारी को लिखे पत्र दिनांक 18.06.1983 की फोटोप्रति, जिला आयुर्वेद अधिकारी को लिखे पत्र दिनांक 05.12.1972 की फोटोप्रति, निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर को लिखे पत्र दिनांक 07.07.1971 की फोटोप्रति, निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर के पत्र दिनांक 05.08.1971 की फोटोप्रति, निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर के पत्र दिनांक 29.05.1971 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत हरसोलाव के प्रस्ताव दिनांक 05.04.2002 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत हरसोलाव के प्रस्ताव संख्या 02 की फोटोप्रति, उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 08.02.1974 की फोटोप्रति, प्रस्ताव संख्या 01 की फोटोप्रति, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 25.02.1974 की फोटोप्रति, कार्यालय आदेश दिनांक 08.02.1974 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत हरसोलाव के खर्चा हिसाब की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत हरसोलाव के बिल दिनांक 15.04.1973 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत हरसोलाव के बिल दिनांक 12.04.1973 की फोटोप्रति, जनसहयोग दिनांक 16.04.1973, 10.04.1973, 24.04.1973, 06.04.1973, 12.04.1973, 17.04.1973 और 04.04.1973 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2021 की फोटोप्रति, न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रार्थना पत्र मुकेश बनाम एडीएम नागौर व अन्य के निर्णय दिनांक 06.09.2023 की फोटोप्रति, कार्यालय जिला कलक्टर नागौर के जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.06.2023 की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 22.07.2022 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत हरसोलाव की मिसल संख्या 17 / 2019–20 की फोटोप्रति, कार्यालय उप निदेशक आयुर्वेद विभाग नागौर के पत्र दिनांक 04.04.2022 की फोटोप्रति, आयुर्वेद ओषधालय हरसोलाव के पत्र दिनांक 27.03.2022 की फोटोप्रति, आयुर्वेद ओषधालय हरसोलाव के पत्र दिनांक 26.07.2014 की फोटोप्रति, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कैम्प हरसोलाव मेडता की शिकायत जांच रिपोर्ट दिनांक 01.12.2010 की फोटोप्रति, देवीसिंह व अजीज खान के शपथ पत्र की फोटोप्रति, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेडता के प्रकरण संख्या 82 / 22 के निर्णय दिनांक 27.06.2022 की फोटोप्रति, एफआईआर दिनांक 18.12.2021 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मंगवाया गया।

29/7/24

अपर कलक्टर, नागौर

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– पट्टा व प्रस्ताव जेर अपील विधि व तथ्यों के विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(2)–आमजन के व दानदाताओं के सहयोग से बनी सार्वजनिक सम्पति औषधालय के क्वार्टरो का पट्टा बनाकर अप्रार्थी को देने का ग्राम पंचायत को कोई हक अधिकार नहीं था। ऐसी दशा में पट्टा जेर निगरानी अपास्त होने योग्य है।

2(3)– पट्टा जेर निगरानी जिस भूमि का बनाया गया हैं, वह आबादी का भाग नहीं हैं, कुछ भाग खसरा नम्बर 1707 खेत व कुछ भाग खसरा नम्बर 1700 व 1708 रास्ता का भाग हैं, ऐसी भूमि का पटटा ग्राम पंचायत को देने का कोई हक अधिकार नहीं था, इस वजह से पटटा जेर निगरानी विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(4)– पटटा जेर निगरानी तत्कालीन सरपंच सुरेश द्वारा बनाया गया था, जो अपने भाई के नाम पटटा संख्या 37 बनाकर दिया। बिना हक अधिकार के आबादी की भूमि से भिन्न भूमि का अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त करने की नियत से अपने भाई के नाम बनाकर सार्वजनिक सम्पति की भूमि व भवन को हडपने की नियत से बनाया हैं, ऐसा अनैतिक व विधि विरूद्व कृत्य तत्कालीन सरपंच को करने का कोई हक अधिकार नहीं था, ऐसी दशा में पटटा जेर निगरानी अपास्त होने योग्य है।

2(5)– मौजूदा ग्राम पंचायत सरपंच से वादग्रस्त पटटा की पत्रावली की जानकारी चाही तो ज्ञात हुआ कि ऐसा कोई पत्रावली पंचायत रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। इस वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस पटटा बाबत पत्रावली बनाई ही नहीं गई। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत हरसोलाव के रिकार्ड में पत्रावली होना नहीं पाया गया हैं, ऐसा जानकारी में आया है, ऐसी दशा में बिना पत्रावली के पट्टा जेर निरागनी बनाया गया, जान पडता हैं, जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्व व पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए विधि विरूद्व ढंग से हस्ताक्षर कर पटटा जारी किया हैं, जो एक कूटरचना व छल कपट से बनाया गया दस्तावेज है, जो आपराधिक कृत्य हैं, ऐसी दशा में पटटा जेर निगरानी अपास्त होने योग्य है।

2(6)–पटटा जेर निगरानी बाबत न तो आम जनता को नोटिस दिया गया, न ही पटटा बनाने की कार्यवाही के दौरान मौका देखा गया, न ही पटटा बनाने बाबत कानूनी प्रक्रियाओ का पालन किया गया। बाले–बाले कागजी तौर पर फर्जी तरीके से पटटा जेर निगरानी बनाया गया हैं, इस वजह से पटटा जेर निगरानी विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(7)– सार्वजनिक औषधालय के लिए जन सहयोग से बनाये हुए क्वार्टरो की भूमि आयुर्वेदिक औषधालय के पास में होने से दो तरह रास्ता लगता होने से गांव में मौके की भूमि होने से कारण तत्कालीन सरपंच ने यह भूमि हडपने की नियत से अपने पिता व भाई के नाम पटटे बनाये है जो जाहिरा तौर पर पदीय हैसियत का अनैतिक रूप से दुरूपयोग है एवं विधि विरूद्व तरीके से बिना हक क्षेत्राधिकार के अधिकार क्षेत्र से परे जाकर पटटा जेर निगरानी बनाया है जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(8)– निगरानीकर्ता गांव हरसोलाव के निवासीगण है, प्रार्थीगण व गांव वासियों का एक ही हित हैं, प्रकरण आयुर्वेदिक औषधालय के क्वार्टर से संबंधित हैं, आम गांव वासियों का हित जुडा हैं, इसी प्रकार प्रार्थीगण भी प्रभावित हैं, प्रार्थीगण आम जनता के हितो के लिए यह कार्यवही कर रहे हैं, प्रार्थीगण भी जनता में शामिल हैं, प्रार्थीगण का भी हित प्रभावित है, ऐसी दशा में प्रार्थीगण यह निगरानी करने के हकदार हैं, व्यथित पक्षकार है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2021(1) पेज 578 से 583, आरआरटी 2005(1) पेज 534 से 536, आरआरटी 2020(1) पेज 563 से 566, आरआरटी 2003(2) पेज 1328 से 1331 तक नजीरे पेश की।

3– अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त निगरानी राजनीतिक द्वेषता के तहत दर्ज करवाई गई है। अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त भूमि बैंक को लीज पर दी हुई है, उक्त बैंक आज भी मौके पर कार्य कर रही है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के पूर्ण पालना करते हुए जारी किया गया हैं। उक्त जायगा पर अप्रार्थी संख्या 1 का पीढियों से कब्जा रहा है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा विधि अनुसार जारी किया होने से उक्त निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरसोलाव द्वारा संकल्प संख्या 2/20.11.2019, पत्रावली संख्या 17/2019–20, पट्टा संख्या 37 बुक संख्या 23 निर्णय दिनांक 12.12.2019 को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। उक्त जायगा पर सार्वजनिक आयुर्वेदिक औषधालय के क्वार्टर बने हुए थे, जिनका तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने भाई के नाम पट्टा जारी किया है, जिससे ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा को बिना हक अधिकार के जारी किया जाना प्रतीत होता है।

29/7/24
अपर कलक्टर, नागौर

पटवारी रिपोर्ट दिनांक 10.11.2021 के अनुसार खसरा नम्बर 1700 व 1708 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है तथा ग्राम पंचायत हरसोलाव के प्रस्ताव दिनांक 22.07.2022 के अनुसार उक्त पट्टा खसरा नम्बर 1700 गैर मुमकिन रास्ता पर जारी किया हुआ है। राजस्व भूमि पर पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है तथा अपने प्रस्ताव में बताया कि उक्त पट्टा आबादी भूमि पर जारी नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। कार्यालय जिला कलक्टर नागौर (जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति) की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.06.2023 के अनुसार भी उक्त पट्टा गैर मुमकिन रास्ते पर जारी किया गया है। उक्त सभी दस्तावेजात् का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा गैर मुमकिन रास्ते पर जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को आबादी क्षेत्र से बाहर पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5— उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत हरसोलाव द्वारा पट्टा संख्या 37 दिनांक 12.12.2019, निरस्त किया जाता है।

6— निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर) 28/7/24
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर